

दिनांक 07.09.2022

जनपद अम्बेडकरनगर थाना जहाँगीरगंज पुलिस व पी0आर0वी0 1679 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गौकशी में संलिप्त दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, 200 किया प्रतिबंधित मांस, एक अदद चाकू व एक अदद चापड़ बरामद

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा गोवध/गोकसी व गौ तस्करी रोकथाम तथा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2022 को थाना जहाँगीरगंज पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबीर खास द्वारा कुछ व्यक्तियों के गौकशी करने की सूचना दी गयी थी। इस सूचना पर थाना जहांगीरगंज पुलिस व क्षेत्र में भ्रमणशील पी0आर0वी0 1679 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.मो0 रब्बानी पुत्र मो0 अजहर निवासी ग्राम जहाँगीरगंज थाना जहाँगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर, 2.तसलीम अरिफ पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी नगपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को गनपतपुर व घोसीयाना ग्राम के मध्य स्थित तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से लगभग 200 किग्रा गोमांस व गोमांस काटने का एक अदद चापड़ व एक अदद चाकू व एक अदद मोटरसाइकिल UP53 CJ 9730 बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना जहाँगीरगंज पर मु0अ0सं0 217/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व मु0अ0सं0 218/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायलय अभिरक्षा में भेजा गया है।

विवरण गिराफ्तार अभियुक्त-

- 1.मो0 रञ्बानी पुत्र मो0 अजहर निवासी ग्राम जहाँगीरगंज थाना जहाँगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर
- 2.तसलीम अरिफ पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी नगपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर

विवरण बरामदगी -

- 01.200 किग्रा गोमांस
- 02. एक अदद चापड़
- 03. एक अदद चाकू
- 04. एक अदद मोटरसाइकिल (UP53 CJ 9730)

विवरण पंजीकृत अभियोग

- 01. मु0अ0सं0 217/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
- 02. मु0अ0सं0 218/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- 1. थानाध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी मय फोर्स (थाना जहांगीरगंज)
- 2. आरक्षी संदीप कुमार (पी0आर0वी0 1679)
- 3. आरक्षी लोकेश कुमार यादव (पी0आर0वी0 1679)
- 4. हे0का0 चा0 गुलाम अहमद (पी0आर0वी0 1679)